

गूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ला तीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- संजय कुमार आर.एस  
राजस्व वाद संख्या :- 038/2024

1. सुनील कुमार पुत्र रुपराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बीमा पत्नी रुपराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. रुपराम पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. पुनम पुत्री रुपराम पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी बारेका तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का।
3. अनुराधा पुत्री रुपराम पत्नी शुभम जाति जाट निवासी जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर।
4. मोनिका पुत्री रुपराम पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 14.06.2024

वादीगण की ओर से श्री अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2024 को संजय कुमार आर.एस उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 3 एम.एस.टी.एस.एम. जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 97/38 में संयुक्त खाता में कुल 12.3970 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रुपराम के 1/3 हिस्सा अर्थात् 4.132 हैक्टर आराजी में से वादीगण संख्या 1 व 2 को 2/3 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 3 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता संख्या 97/38 में से प्रतिवादी संख्या 1 रुपराम का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



संजय कुमार  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
टिब्बी